Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE

"ऑपरेशन कन्विक्शन" के क्रम में हत्या का प्रयास करने के आरोपियों शाहरुख व अर्जुन को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 10 वर्ष का कारावास व 15-15 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि वर्ष 2022 में अभियुक्तों शाहरुख पुत्र शौकीन निवासी ग्राम सिलाना थाना छपरौली जनपद बागपत व अर्जुन पुत्र सतेन्द्र निवासी ग्राम सरुरपुर कलां थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत द्वारा हत्या करने का प्रयास व पुलिस पार्टी पर फायरिंग करने की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 517/22, 518/22, 519/22 व 520/22 धारा 147/148/149/307 भादवि व 3/25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किये गये थे। इन अभियोगों को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरुप दिनांक 12.12.2024 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज एफटीसी कोर्ट-02 जनपद बागपत द्वारा अभियुक्तों शाहरूख व अर्जुन को दोषी पाते हुए प्रत्येक को 10 वर्ष के कारावास व 15-15 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।

श्री अमित खोकर एडीजीसी जनपद बागपत

आरक्षी हरदीप कुमार कोर्ट पैरोकार थाना कोतवाली बागपत

@baghpatpolice   baghpatpolice   Baghpat Police

प्रेस नोट

जनपद बागपत दिनाँक 12.12.2024

बागपत पुलिस ने 02 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत बागपत पुलिस द्वारा 02 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्तों का नाम व पता-

1-सौकत पुत्र जमील धोबी निवासी मौ0 पट्टी चौधरान गन्दे नाले के पास कस्बा व थाना बड़ौत जनपद बागपत।

2-विकास पुत्र अनिल निवासी चौबली थाना छपरौली जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-थाना बडौत पुलिस टीम।

2-थाना छपरौली पुलिस टीम।

प्रेस नोट

थाना बिनौली **दिनाँक 12.12.2024**

थाना बिनौली पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध छुरा बरामद।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से एक अवैध छुरा बरामद हुआ है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 290/24 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

विशाल पुत्र वीर सिंह निवासी धनौरा सिल्वरनगर थाना बिनौली जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध छुरा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री ज्ञानेन्द्र सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत।

2-का0 1024 उपेन्द्र यादव थाना बिनौली जनपद बागपत।